e[; e=h jkgr dk"k d y[kkvk dk y[kk ijh{kk ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 01-04-2009 l 31-03-2011

Hkkx&,d

1 xr y[kk ijh{kk ifronu %&

गत लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त पुराने ऑडिट पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :—

¼d½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@81 l 3@83 rd

1	पैरा 3(बी)	अनिर्णीत

¼[k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@84 l 3@88 rd

1	पैरा 3(सी) व (डी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत

¼x½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@88 l 3@89 rd

1	पैरा 6(1)(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(1)(2)	अनिर्णीत

¼?k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@89 l 3@90 rd

1	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत

¼³½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@90 l 3@94 rd

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 11	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत

¼p½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@94 l 3@98 rd

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत

¼N½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@98 l 3@99 rd

1	पैरा 3(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत

¼t½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@99 l 3@2000 rd

1	पैरा 3(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत

¼>½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@2000 l 3@2002 rd

1	पैरा 3(1)(2)(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत

¼¥½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 4@2002 ls 3@2004 rd

1	पैरा 3	अनिर्णीत	
2	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा 7	अनिर्णीत	
4	पैरा 8	अनिर्णीत	
5	पैरा 9	अनिर्णीत	

¼V½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 4@2004 ls 3@2009 rd

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क दिनांक 30.08.2011 को भेज दिया गया है)
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति पैरा 4 में समाविष्ट है)
3	पैरा 5	निर्णीत	(सावधि जमा की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 में समाविष्ट है)
4	पैरा 6	निर्णीत	(ब्याज रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2011 को ले लिया है)
5	पैरा 7	निर्णीत	(राहत कोष में जिला राहत कोष द्वारा 50% अंषदान राषि जमा न करवाने सम्बन्धी पैरा 7 में समविष्ट है)
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	निर्णीत	(दोनों रसीदों में हस्ताक्षर का अवलोकन कर लिया है)
8	पैरा 10(1)	अनिर्णीत	
9	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	
10	पैरा 11	समाप्त (निर्णीत)	(मूल अभिलेख के अवलोकन पर)
11	पैरा 12	अनिर्णीत	
12	पैरा 13	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा संख्याः 6 में स्थिति पुनः प्रारूपित)

भाग–दो

2 वर्तमान लेखा परीक्षा :–

मुख्य मंत्री राहत कोष के अवधि 4/2009 से 3/2011 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण कार्य श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री कृष्ण लाल नेगी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.09.2011 से 17.09.2011 तक सचिवालय परिसर षिमला में सम्पन्न किया गया। जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं। आय की विस्तृत जाँच हेतु मास 11/2009, 09/2010, व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 03/2010 व 11/2010 का चयन किया गया।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को संस्था द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, सम्बन्धित संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा अपितु इस विभाग का दायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 लेखा परीक्षा शुल्क :–

मुख्य मंत्री राहत कोष, हिमाचल प्रदेष के लेखाओं अवधि 01.04.2009 से 31.03.2011 तक का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण शुल्क ₹10,100/– आंका गया जिसे अंकेक्षण दल के पत्र संख्याः 141/ऑडिट–2010–2011, दिनांक 17.09.2011 द्वारा रेखांकित चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष को शीघ्र भेजने हेतू आग्रह किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

मुख्य मंत्री राहत कोष हिमाचल प्रदेष के अवधि 01.04.2009 से 31.03.2011 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज की प्राप्ति	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2009–10	4,58,46,007	6,04,49,291	14,42,457	10,77,37,755	3,97,19,629	6,80,18,126
2010–11	6,80,18,126	3,71,77,130	25,42,345	10,77,37,609	5,08,35,021	5,69,02,580

उपरोक्त वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2011 को ₹5,69,02,580/–की राषि आंकलित होती है जबकि रोकड़ बही मे कुल जमा राषि ₹5,70,20,567/–है इस प्रकार वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही अनुसार अन्तिम शेष में ₹1,17,987/–का अन्तर है जो पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2009 से सम्बन्धित है, क्योंकि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही अनुसार अन्तिम शेष में

₹1,17,987 ⁄ –का अन्तर दर्षाया गया था जिसका समायोजन एवम् मिलान किया जाना वांछित था। अतः आवष्यक मिलान कर खातों में समायोजन किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 fuos'k %&

मुख्य मंत्री राहत कोष से ₹5,06,89,658 ⁄ –की राषि दिनांक 31.03.2011 को सावधि जमा में निवेष की गई थी, जिसका पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''क'' में दिया गया है।

6 ₹6]33]544-80 dk vUrj cSd lek/kku fooj.k u cuk;s tkus ds dkj.k %&

मुख्य मंत्री राहत कोष में रोकड़ बही व बैंक जमा राषि की स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

Ø0 l0	jksdM+ cgh vuqlkj 31-03-2011 dks 'ks"k jkf'k		cSd esa okLrfod tek fnukad 31-03-2011 dks	
1	हिमाचल प्रदेष कॉ–आ0 बैंक खाता संख्याः 315 में जमा राषि दिनांक 31.03.2011	58,31,617	हिमाचल प्रदेष कॉ–आ0 बैंक खाता संख्याः 315 में जमा राषि	64,65,161.60
2	यूको बैंक, निगम बिहार में खाता संख्याः 5028 में जमा राषि दिनांक 31.03.2011	4,99,292	यूको बैंक, निगम बिहार में खाता संख्याः 5028 में जमा राषि	4,99,292.00
3	सावधि जमा शेष 31.03.2011	5,06,89,658	सावधि जमा	5,06,89,658.00
	jksdM+ cgh vuqlkj tek	5]70]20]567		5]76]54]111-80
	vUrj	6]33]544-80		

इस प्रकार रोकड़ बही व बैंक में जमा राषि में ₹6,33,544.80 का अन्तर है जो कि हिमाचल प्रदेष स्टेट कॉ–आ0 बैंक में ही है क्योंकि रोकड़ बही में का0–आ0 बैंक शेष ₹58,31,617 ⁄ –व बैंक में वास्तविक शेष ₹64,65,161.80 है इस प्रकार अन्तर ₹6,33,544.80 है। विस्तृत अंकेक्षण एवं जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि उक्त अन्तर बैंक समाधान विवरण न बनाए जाने के कारण है अर्थात रोकड़ बही का वास्तविक बैंक जमा के साथ मिलान न ही किया जा रहा है जबकि समय–समय पर बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाना वांछित था ताकि संस्था द्वारा वास्तविक जमा ⁄ निकासी की स्थिति पता चल सके। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2004–2005 से बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाई गई है। इस सन्दर्भ में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2004 से 03/2009 में भी पैरा संख्याः 13 में इसी प्रकार की आपत्ति दर्ज की थी परन्तु अनुपालना नहीं की गई है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्ष 2004–2005 से बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाए ताकि संस्था के खातों में किसी प्रकार की त्रुटि की सम्भावना न रहे।

7 **ftyk/kh'kk }kjk ftyk jkgr dk"k dk 50% Hkkx e[;e=h jkgr dk"k [kkr e tek u djokuk**

मुख्य मंत्री राहत कोष के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सचिव (सामान्य प्रषासन हिमाचल प्रदेष सरकार) के पत्र संख्या 21–2/71–जी0ए0डी0, दिनांक 15.09.92 के अनुदेषों के अनुसार जिला राहत कोष में वर्ष में एकत्रित राषि का आधा भाग अर्थात 50% भाग मुख्य मंत्री राहत कोष में जमा करवाना आवष्यक है। परन्तु विभिन्न जिलाधीषों द्वारा प्रावधान के अनुसार अपेक्षित आवष्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा सभी सम्बन्धित जिलाधीषों द्वारा जिला राहत कोष में कुल प्राप्त राषि का विवरण मुख्यमंत्री राहत कोष को प्रस्तुत नहीं की जा रहा है। वर्ष 2009–2010 व 2010–2011 में किसी भी जिलाधीष द्वारा जिला राहत कोष में प्राप्त राषि का 50% भाग मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा नहीं करवाया है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि विभिन्न जिलों में जिला राहत कोष में जमा नहीं करवाया है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि विभिन्न जिलों में जिला राहत कोष में प्राप्त राषि का वर्ष–वार विवरण प्राप्त करके 50% भाग अंषदान के रूप में प्राप्त किया जाना सुनिष्चित किया जाए क्योंकि जिला राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए आय का एक मुख्य स्त्रोत है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2009 के पैरा संख्याः 7 में भी इसी प्रकार का सुझाव दिया गया था कि जिलाधीषों द्वारा जिला राहत कोष में प्राप्त राषि का 50% भाग मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए। अतः सचिव, सामान्य प्रषासन, हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः 21–2/71–जी0ए0डी0, दिनांक 15.09.1992 के प्रावधानानुसार जिला राहत कोषों में प्राप्त आय का 50% भाग प्राप्त न करने का मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विषेष रूप से आवष्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

8 **₹67]52]275@&dh okLrfod jlhn ,o mi;kfxrk iek.k i=k dk iklr u fd;k tkuk %&**

अभिलेख की समीक्षा पर पाया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से विभिन्न उद्देष्यों/प्रयोजनों हेतु राषि आवंटित/जारी की गई परन्तु जारी की गई राषि के सन्दर्भ में वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें तथा उपयेगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं। अतः निम्न कुछ प्रकण उदाहरणार्थ अंकेक्षण चयनित मासों में पाए गए जिनमें रसीदें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने वांछित थे :–

Ø0 l0	jkf'k ftldks Ukke tkjh dh xbZ	jkf'k ¼₹½ esa	fVIi.kh
1	उपायुक्त हमीरपुर	₹22,000/–	चैक सं0 8110985, दिनांक 03.11.10
2	उपायुक्त कांगड़ा	₹37,000/–	

3	The lahaul pototo grover Co-op mkts & processing society Ltd मनाली 175131, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेष	₹47,00,000/–	चैक सं0 8110984, दिनांक 02.11.10
4	उपायुक्त मण्डी	₹35,000/–	
5	उपायुक्त कुल्लू	₹3,000/–	चैक सं0 8110981, दिनांक 08.11.10
6	उपायुक्त कांगड़ा	₹20,000/–	
7	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक (IGMC) षिमला	₹19,35,275/–	चैक सं0 8110988, दिनांक 12.11.10
		₹67]52]275@&	

इसके अतिरिक्त संस्था अपने स्तर पर इस प्रकार के प्रकरणों की स्वयं जाँच पड़ताल करें जहां वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें अथवा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं, व समस्त प्रकरण में की गई अन्तिम कार्रवाई से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करें।

9 jkdM+ cgh esa eq[;ea=h jkgr dks"k dh tek 'ks"k jkf'k dh lgh fLFkfr ifjyf{kr u djuk ¼&

मुख्यमंत्री राहत कोष के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में मुख्यमंत्री राहत कोष के कुल शेष जमा राषि को नहीं दिखाया जा रहा है। रोकड़ बही में केवल हिमाचल प्रदेष राज्य का0–आप्रेटिव बैंक, षिमला–2 में शेष जमा राषि अथवा इससे किए गए लेन–देन का ही इन्द्राज/प्रविष्टियां रोकड़ बही में दर्षाई गई है जबकि उक्त राहत कोष की जमा राषि यूको बैंक निगम विहार षिमला तथा सावधि जमा के रूप मं भी विद्यमान है जो कि लेखा नियमों के विरूद्ध है। जबकि नियमानुसार राहत कोष की समस्त राषि प्रारम्भिक शेष में दर्षाई जानी अपेक्षित है तथा कुल प्राप्तियों तथा भुगतान के बाद शेष जिसे अन्तिम शेष कहा जाता है के सम्बन्ध में विभिन्न बैंक (बचत खाता) व सावधि शेष में दर्षाकर विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित था ताकि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कुल राषि की स्थिति एक ही दृष्टि में स्पष्टतया पता चल सके। उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष की रोकड़ बही में 31.03.11 को अन्तिम शेष ₹58,31,617/–दर्षाया गया है जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष में वास्तविक शेष ₹5,70,20,567/–है, जो स्वतः ही एक गम्भीर व त्रुटिपूर्ण स्थिति प्रकट करता है। अतः रोकड़ बही में समस्त जमा राषि को परिलक्षित करना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

10 jkdM+ cgh esa fofHkUu L=ksrksa ls izkIr vk; dk fooj.k u n'kkZ;k tkuk ¼&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय का विवरण रोकड़ बही के कुछ पृष्ठों पर नहीं दर्षाया गया है। रोकड़ बही में केवल आय प्राप्ति ही दर्षाई गई है लेकिन

स्त्रोत का संदर्भ नहीं दर्षाया गया है। अतः ऐसे प्रकरणों में भविष्य हेतु आय के स्त्रोत स्पष्ट रूप से दर्षाए जाने सुनिष्चित किया जाए।

11 tkjh dh xbZ jkf'k ls mi;ksx dh xbZ jkf'k ds ckn 'ks"k cph jkf'k ds lEcU/k esa vfHkys[k rS;kj u djuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में उपयोग उपरान्त शेष बची राषि जिसे Unspent money received back दर्षाया गया है, के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अभिलेख तैयार नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से विभिन्न संस्थाओं/विभागो को अनुदान स्वरूप राषि जारी की गई है तथा उक्त संस्थानों द्वारा उपयोग के बाद शेष बची राषि मुख्यमंत्री राहत कोष को वापिस भेजी गई है। वस्तुतः मुख्यमंत्री राहत कोष कार्यालय द्वारा कुल स्वीकृत एवं जारी राषि, उपयोग की गई राषि (उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित) व शेष प्राप्त योग्य राषि के सम्बन्ध में अभिलेख तैयार किया जाना वांछित था ताकि विभिन्न संस्थानों/विभागों द्वारा शेष बची राषि जो भिजवाई जा रही है/गई है के साथ सत्यापन हेतु मिलान किया जा सके। अतः उपयोग उपरान्त शेष बची राषि के सम्बन्ध में आवष्यक अभिलेख प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 jkf'k@jksdM+ dh izkfIr ds le; jlhn tkjh u djuk %&

मुख्यमंत्री राहत कोष के अंकेक्षण के दौरान पाया कि कुछ प्राप्त राषियों जो मुख्यतः रोकड़ स्वरूप प्राप्त की गई थी, का रोकड़ बही में इन्द्राज पहले किया गया है तथा रसीद बाद की तिथि में जारी की गई है जबकि नियमानुसार राषि की प्राप्ति के समय रसीद जारी की जानी अपेक्षित है व तत्पष्चात रोकड़ बही में जारी रसीदों अनुसार प्राप्त राषि का इन्द्राज किया जाता है। वर्ष 2009–10 व 2010–2011 में अनेकों ऐसे प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें प्राप्त राषि का इन्द्राज रोकड़ बही में पहले किया गया था तथा रसीद कुछ दिनो/दिन बाद जारी की गई है जो अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राषियों की प्राप्ति पर रोकड़ बही में इन्द्राज कर लिया जाता है लेकिन तत्सम्बन्धी रसीद बाद में जारी की गई है। यह सिद्धान्तिक रूप से उचित प्रक्रिया नहीं है अपितु ऐसी प्रक्रिया में राषि प्राप्त होने पर अनावष्यक रूप से हस्तगत रखने के कारण अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावना बनी रह सकती है। अतः मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु राषि प्राप्त होने पर तुरन्त रसीद जारी किया जाना सुनिष्चित किया जाए व तदोपरान्त रोकड़ बही में तदानुसार इन्द्राज किया जाए ताकि किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके। उक्त अनियमितता के कुछ प्रकरण सन्दर्भ हेतु नीचे दिए गए हैं, जिनमें रोकड़ बही में इन्द्राज पहले किया गया है लेकिन रसीदें बाद की तिथियों में जारी की गई है, जिस बारे आगामी अंकेक्षण में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए :–

09@2010

Ø0 l0	ikfIr jlhn o frfFk	lfyIr jkf'k	jkdM cgh e bUnkt dh frfFk	dfQ;r jkdM cgh e bUnkt vfxze e
1	0024389 / 03.09.10	500 /—	27.08.2010	8 दिन पूर्व
2	0024390 / 03.09.10	11,000 /—	27.08.2010	8 दिन पूर्व
3	0024391 / 03.09.10	51,000 /—	27.08.2010	8 दिन पूर्व
4	0024392 / 03.09.10	10,000 /—	30.08.2010	5 दिन पूर्व
5	0024398 / 13.09.10	51,000 /—	06.09.2010	7 दिन पूर्व
6	0024399 / 13.09.10	51,000 /—	06.09.2010	7 दिन पूर्व
7	0024416 / 18.09.10	1,00,000 /—	03.09.2010	15 दिन पूर्व
8	0024417 / 18.09.10	5,000 /—	03.09.2010	15 दिन पूर्व
9	0024418 / 24.09.10	11,000 /—	20.09.2010	4 दिन पूर्व
10	0024419 / 27.09.10	7,741 /—	08.09.2010	19 दिन पूर्व
11	0024420 to 439 / 27.09.10	100 /—	18.09.2010	9 दिन पूर्व
11@2009				
1	0023947 / 20.11.09	1,000 /—	28.10.2009	8 दिन पूर्व
2	0023948 / 20.11.09	10,000 /—	09.11.2009	11 दिन पूर्व
3	0023949 / 20.11.09	11,00,000 /—	09.11.2009	11 दिन पूर्व

13 y?k vkifÙk foojf.kdk ¼& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14 fu"d"k ¼& लेखों के रख—रखाव में उचित सुधार की आवष्यकता है व अनिर्णीत पैरों की अनुपालना हेतु भी विषेष ध्यान देने की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)(14)28/76 खण्ड–5, दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवम् आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

i:thd`r 1. उप सचिव, (सामान्य प्रषासन विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002 को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kk:½